न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूॅगरपुर राज.

नाम पीठासीन अधिकारी–श्री श्रवणसिंह राठौड आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या–19 / 24

दायर दिनाकः–07.06.2024

निर्णय दिनाकः–5/8/24

अनवान

श्री सुरेन्द्रकुमार बामणिया पिता भीखाभाई भील जाति भील निवासी सागवाडा जिला डूॅगरपुर(राज0)

(प्रार्थी)

बनाम

1–श्रीमती उर्मिला खराडीया पत्नि स्व.नरेन्द्र कुमार जाति भील निवासी सागवाडा
2–श्री हर्षित बामणिया पिता स्व0नरेन्द्र कुमार बामणिया जाति भील निवासी सागवाडा
3– श्री भुमिधारी राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कार्यालय सागवाडा

(विपक्षीगण)

वकील वादी / प्राथी –श्री मयंक दोसी
अप्रार्थी 1 व 2 की और से – श्री निखील सोमपुरा
अप्रार्थी 3 की ओर से पैरोकार सरकार

वाद / प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 आरटीए

आदेश

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण गॉव सागवाडा के निवासी हो उनके स्वामित्व व कब्जेदारी की कृषि भुमि मौजा सागवाडा की खाता संख्या 1431 / 1365 के खसरा नं0 4989 / 2 रकबा 0.0080 हेक्टेयर, 4990 / 2 रकबा 0.0161 हैक्टेयर, 5574 / 2 रकबा 0.0809 हेक्टेयर, 5575 / 1 रकबा 0.0404 हेक्टेयर, 5578 / 2 रकबा 0.1132 हेक्टयेर, 5579 / 2 रकबा 0.0242 हेक्टेयर, 5581 / 3 रकबा 0. 1132 हेक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। जो प्रार्थी के परिवार के आपसी बंटवारे अनुसार बंटवारानामा दिनांक 24.04.2012 के प्रार्थी के खाते दर्ज हुई है। यह कि प्रार्थी की उपरोक्त खसरों की भूमि के पास विपक्षी संख्या 1 की कृषि भूमि है। प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 व 2 के बीच भूमि की सीमा को लेकर विवाद है। इस कारण प्रार्थी उसके स्वामित्व की उपरोक्त भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहता है। यह कि प्रार्थी ने उपरोक्त खसरो की भूमि की पत्थरगढी कराने विपक्षी संख्या 3 को दिनांक 15.05.2024 को निवेदन किया लैकिन विपक्षी संख्या 3 के द्वारा पत्थरगढी कराने से इन्कार कर दिया गया। यह कि प्रार्थी उपरोक्त भूमि की पत्थरगढी कराकर उसका सीमा ज्ञान कराना आवश्यक है ताकि मौके पर विपक्षी संख्या 1 व 2 एवं प्रार्थी के मध्य किसी प्रकार का विवाद न हो।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा
जिला डूंगरपुर (राज.)

यह कि विपक्षी संख्या 3 को इस प्रार्थना पत्र के जरिये मौजा सागवाडा की खसरा नं0 4989/2, 4990/2, 5574/2, 5575/1, 5578/2, 5579/2, 5581/3 की भूमि की पत्थरगढी करने आदेश प्रदान करना आवश्यक है ताकि प्रार्थी को उसकी भूमि की सीमा जानकारी हो सके एवं मौके पर कोई विवाद उत्पन्न नही हो। जिससे प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी कृषि भुमि की पत्थरगढी कर सीमा ज्ञान कराने निवेदन किया गया।

यह कि प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र नियमानुसार दर्ज किया जा अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किए गये। दिनांक 10.06.2024 को चन्दा एवं सन्नी की तरफ से जरिये अधिवक्ता नियम 1 आदेश 10 का प्रार्थना पत्र पेश किया। वकील प्रार्थी ने दिनांक 12.06.2024 को आदेश 1 नियम 10 के प्रार्थना पत्र का जवाब दिया गया। दिनांक 19.06.2024 को वकील निखील सोमपुरा द्वारा वकालात नामा मय अप्रार्थी 1 व 2 की ओर से जवाब पेश किया गया। दिनांक 26.06.2024 को सनी बामणिया की ओर से अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय में विचाराधिन प्रकरण सं. 65/2024 में दिनांक 12.06.2024 को भूमिधारी सागवाडा को लिये पत्र के साथ पेश कर वादग्रस्त आराजी पर मौके ओर रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेशो से अवगत कराया। जिसकी नकल प्रार्थी वकील को दिलाई गई। दिनांक 15.7.2024 को चन्दा व सनी के पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 भुमिधारी का जवाब प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा अपना जवाब पेश किया गया जिसमें बताया गया कि प्रार्थी उनके स्वामित्व की उपरोक्त खसरों की कृषि भूमि की पत्थरगढी करवाता है तो विपक्षी संख्या 1 व 2 को काई आपत्ति नही होना बताया गया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार हो प्रार्थीगण के द्वारा चाहे खसरों की पत्थरगढी के आदेश किए जाते है तो उन्हे कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया। प्रार्थना पत्र पत्थरगढी सीमाकंन का है। पत्रावली मे उपलब्ध रेकार्ड अनुसार प्रार्थीगण मौजा सागवाडा की खाता संख्या 1431/1365 के खसरा नं0 4989/2 रकबा 0.0080 हेक्टेयर, 4990/2 रकबा 0.0161 हैक्टेयर, 5574/2 रकबा 0.0809 हेक्टेयर, 5575/1 रकबा 0.0404 हेक्टेयर, 5578/2 रकबा 0.1132 हेक्टयेर, 5579/2 रकबा 0.0242 हेक्टेयर, 5581/3 रकबा 0.1132 हेक्टेयर कृषि भूमि के खातेदार है। उक्त भुमि उसके कब्जेयाबी की होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी के उपरोक्त खाते की पत्थरगढी/सीमाज्ञान के आदेश दिए जाते है। शुल्क नियमानुसार प्रार्थीगण द्वारा वहन किया जायेगा। नियमानुसार अप्रार्थी संख्या 3 भुमिधारी तहसीलदार सागवाडा को तहरीर जारी की जावें।

भूमिधारी तहसीलदार सागवाडा के द्वारा पक्षकारान् की उपस्थिति मे पर्चा मौका कायम किया जा पालना रिर्पोट पेश किया जावे। निर्णय आज दिनांक 5/8/24..... को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

(श्रवणसिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा
जिला डूंगरपुर (राज.)